संख्या-267/2025/2228/22-2-2024-17(622)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गूंगा उर्फ भरबूजा उर्फ सन्तोष पुत्र श्री सोनपाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38027/प्रो0अनु0(2)-280/2024(बैठक दिनांक-10.12.2024), दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गूंगा उर्फ भरबूजा उर्फ संतोष पुत्र सोनपाल, जो ग्राम-ईंट का भट्टा, पालाचन्द, थाना-खैर, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 16.06.2010 को अभियुक्त ने कुलदीप नामक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करने के उपरान्त गर्दन में गमछा बाँधकर व गला घोटकर हत्या कर दी एवं लाश सरदार सिंह के खेत में फेंक दी। कुलदीप का मृत शरीर नग्न अवस्था में पड़ा था तथा नाक और गुदा से खून बह रहा था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-218/2011, भा0द0वि0 की धारा- 302, 377, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-05. अलीगढ़ के आदेश दिनांक 08.04.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 03 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष 06 माह 25 दिन की सजा भोगी जा चुकी है। दिनांक 30.09.2024 को बंदी की आयु 45 वर्ष, 11 माह, 20 दिन है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97,दिनाक-06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। (3) बंदी समयपूर्व रिहा होने से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। तदनुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गूंगा उर्फ भरबूजा उर्फ सतोष पुत्र सोनपाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी गूंगा उर्फ भरबूजा उर्फ सन्तोष (बन्दी संख्या-18866) पुत्र श्री सोनपाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-267/2025/2228(1)/22-2-2024-17(622)/2024तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

3- नोडल अधिकारी / अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।